न्यायालयः–जिला न्यायालय, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन

फर्द अहकाम

दीवानी वाद संख्या–06/2019

श्रवणराम बनाम रामनिवास वगैरह

दिनांकः–02.04.2026

अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा प्रतिवादी सं.02 की ओर से पेश किया गया प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 49 रजिस्ट्रेशन अधिनियम दिनांकित 24.02.2026 व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 3 सीपीसी दिनांकित 17.03.2026 के तथ्य समान होने से तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए व सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्रों पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी सं.02 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा साक्ष्य के दौरान एक इकरारनामा बैचाण बाबत् कृषि भूमि का दिनांक 06.11.2018 का पेश किया है। उक्त दस्तावेज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए था। वादी ने दावा दिनांक 06.11.2018 के अपंजीकृत विक्रय अनुबंध से 5,00,000/– रुपए में वादग्रस्त अचल संपत्ति विक्रय करने का अनुबंध बतलाकर दिनांक 06.11.2018 के विक्रय अनुबंध की विशिष्ट अनुपालना का दावा आवश्य किया है। वादी के दावा के साथ विक्रय अनुबंध दिनांक 06.11.2018 को 5,00,000/– रुपए की मालियत का प्रस्तुत किया है जो मात्र पांच सौ रुपए के स्टांप पर निष्पादित है और अपंजीकृत है। अचल संपत्ति के विक्रय अनुबंध के लिए राजस्थान स्टांप अधिनियम के अनुसूची नियम 05(ग) के अनुसार अचल संपत्ति के क्रय या विक्रय से संबंधित करार जिसमें कब्जा ना दिया गया हो, के अनुबंध के लिए प्रतिफल राशि का प्रतिशत स्टांप शुल्क पर विलेख निष्पादित होना आज्ञापक है, जिसके अनुसार वादी द्वारा दिनांक 06.11.2018 के करार के लिए पांच लाख रुपए के प्रतिफल पर 15,000/– रुपए के स्टांप विक्रय अनुबंध होना आवश्यक है। अपर्याप्त स्टांप शुल्क पर विक्रय अनुबंध निष्पादित होने के कारण विक्रय अनुबंध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपंजीकृत दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 06.11.2018 राजस्थान स्टांप अधिनियम के अनुसार पर्याप्त स्टांप शुल्क पर नहीं होने से साक्ष्य में प्रदर्श के रूप में मार्क न किए जाने व उसके साक्ष्य से खारिज किए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत वादी की ओर से प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर दौराने बहस मौखिक विरोध करते हुए कथन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 02 द्वारा जानबूझकर विलंब करने के उद्देश्य से अनेकानेक प्रार्थना पत्र पेश किए जा रहे हैं। प्रतिवादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीडवाना(राज.)

अन्य प्रार्थना पत्रों में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त बिंदु तय किए जा चुके हैं। अंत में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकार के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद वादी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को न्यायालय में पेश किया गया। उक्त वाद में अधिवक्ता वादी द्वारा मूल विक्रय अनुबंध दिनांक 06.11.2018 पेश किया गया था। उक्त दस्तावेज को केवल अपंजीकृत होने के आधार पर पत्रावली से विरत किया जाना न्यायहित में नहीं होगा। उक्त दस्तावेज पर अभी तक कोई प्रदर्श अंकित नहीं किया गया है। हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारंभ होकर वादी से जिरह हेतु नियत है। अधिवक्ता प्रतिवादी को उक्त दस्तावेज के संबंध में वादी से विस्तृत जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। उक्त दस्तावेज के पूर्ण एवं अपूर्ण होने के संबंध में निस्तारण प्रदर्श मार्क करते समय किया जा सकता है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई भी आपत्ति प्रदर्श अंकित करते समय की जा सकती है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी से जिरह नहीं कर प्रत्येक तारीख पर विभिन्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। पूर्व में भी इसी आशय का प्रार्थनापत्र प्रतिवादी की ओर से पेश किया जा चुका है । प्रतिवादी सं.2 की ओर से प्रार्थनापत्र के शीर्षक में अलग–अलग आदेश व नियमों का हवाला देकर बार–बार प्रार्थनापत्र पेश करने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होना दर्शित होता है । अतः इस स्तर पर प्रतिवादी सं.02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुतोष के संबंध में पूर्व में दिनांक 28.01.2026 को आदेश दिया जा चुका था । अतः पुनः इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से 2000/–रू. की कॉस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण न्यायालय के टारगेटेड प्रकरणों की सूची में दूसरे नंबर पर है। प्रकरण में पूर्व में भी अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 द्वारा अनावश्यक विलंब कारित किया जा चुका है। अतः अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2 को हिदायत दी जाती है कि आगामी तारीख पेशी पर साक्ष्य वादी में गवाह से आवश्यक रूप से जिरह करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह हेतु दिनांक 6.4.26 को पेश हो।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीडवाना(राज.)

(नाहर सिंह मीणा)
जिला न्यायाधीश, डीडवाना